

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 193/2018

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. आशाराम वल्द वेहनाराम 2. हिन्दूराम वल्द वेहनाराम 3. टामाराम वल्द वेहनाराम कौमा कुम्हार साकिन गालानाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. जेता वल्द मेहरा 2. ईसराराम वल्द मेहराराम कौम कुम्हार साकिन गालानाडी तहसील सिणधरी 3. हीराराम वल्द रूपाराम जाति जाट निवासी चोचवा 4. ईश्वरसिंह वल्द नाराणसिंह कौम राजपूत साकिन खारी तहसील सायला 5. मोहनराम वल्द रायचन्द्रराम 6. जैसाराम वल्द रायचन्द्रराम 7. मांगाराम वल्द देदाराम जाति जाट निवासी चोंचवा तहसील सायला जिला जालोर 8. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे हाल एस. बी.आई शाखा सिणधरी 9. शाखा प्रबन्धक एम.जी.बी. हाल आर. एम.जी.बी. शाखा सिणधरी 10. शाखा प्रबन्धक बी.सी.सी. बी. शाखा सिणधरी 11. तहसीलदार सिणधरी
---	--

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

- 1 श्री डालूराम , अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रामजीवन विश्नोई प्रतिवादी संख्या 5 से 7 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादीगण 1 से 3,4,8 से 10 एकतरफा व प्रतिवादी सं. 11 के पैरोकार उप।

निर्णय



दिनांक— 25.09.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि मौजा— गालानाडी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के खसरा संख्या 122, 175, 185, 186, 258/229, 233, 272/233 रकबा कमशः

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

1, 10.4685, 1.5209, 1.4805, 1.0517, 4.0693, 0.5501 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत त्रिदिनांक 12.06.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर कारान का कब्जा काशत अनुसार बाई मीटर्स एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भेजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभयपक्ष अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी सं 5 से 7 का प्रतिदावा अंतिम रूप में स्वीकार किया जाकर मौजा - गालानाडी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी के खसरा संख्या 122, 175, 185, 186, 258/229, 233, 272/233 रकबा कमश: 0.1214, 10.4685, 1.5209, 1.4805, 1.0517, 4.0693, 0.5501 हैक्टेयर के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	आशाराम पुत्र श्री वेहनाराम जाति कुम्हार सा. देह रहन पूर्ण खाता एसबीबीजे शाखा सिणधरी	गालानाडी	175	3.3250	बा.सो.	0.27	हरा
			258/229	0.2629		1.64	
			233	1.0193		6.37	
			272/233	0.1375		0.86	
			योग	4.7447		9.14	
2	टामाराम पुत्र वेहनाराम जाति कुम्हार सा. देह रहन पूर्ण खाता आर.एम.जी.बी. शाखा सिणधरी	गालानाडी	175	2.8639	बा.सो.	0.23	नीला
			258/229	0.2629		1.64	
			233	1.4805		9.25	
			योग	4.6073		11.12	
3	हिन्दुराम पुत्र वेहनाराम जाति कुम्हार सा.देह रहन-पूर्ण खाता एसबीबीजे शाखा सिणधरी	गालानाडी	175	0.7928	बा.सो.	0.06	गुलाबी
			185	1.5209	बा.सो.	0.12	
			186	1.4805	बा.सो.	0.12	
			258/229	0.2629	बा.दो.	1.64	
			233	0.5501	बा.दो.	3.44	
			योग	4.6072			
4	जेताराम हि. 1/2 इसराराम हि. 1/2 पि. मेहराराम जाति कुम्हार सा. देह रहन-जेताराम का सम्पूर्ण हि. बी.सी.सी.बी. शाखा सिणधरी तथा इसराराम का सम्पूर्ण हि. एस.बी.बी.जे. शाखा सिणधरी	गालानाडी	122	0.1214	बा.दो.	0.76	पीला
			175	1.6018	बा.सो.	0.13	
			175	1.6018	बा.सो.	0.13	
			258/229	0.2630	बा.दो.	1.65	
			योग	3.5880		2.67	
5	ईशराराम पुत्र मेहराराम जाति कुम्हार सा. देह रहन पूर्ण खाता एस.बी.बी.जे. शाखा सिणधरी	गालानाडी	233	0.5097	बा.दो.	3.19	बैंगनी
6	मोहनराम हि. 1/2 जैसराम हि. 1/4 पि. रायचन्द्रराम मांगाराम पुत्र देदाराम हि. 1/4 जाति जाट सा. चोंचवा	गालानाडी	233	0.5097	बा.दो.	3.18	गहरा हरा

	राराम हि. 1/6 ताराम हि. 1/6 पि. हराराम जाति कुम्हार सा. देह ईश्वरसिंह पुत्र नाराणसिंह हि. 1/3 जाति राजपूत सा. खारी हीराराम पुत्र रूपाराम हि. 1/3 जाति जाट सा. चोंचवा रहन-जेताराम का संपूर्ण हि. बी.सी.सी.बी. शाखा सिणधरी रहन इसराराम का संपूर्ण हि. एस.बी.बी.जे. शाखा सिणधरी	गालानाडी	272/233	0.4126	बा.दो.	2.58	चमकीला
8.	खाता नं. 34/ अनुसार पूर्व में दर्ज संपूर्ण खातेदार यथावत (मार्ग हेतु प्रस्तावित)	गालानाडी	175	0.2832	बा.सो.	0.02	लाल

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें ।

3.
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3.
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी